न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

हकियत वाद–140 / 2012

गायत्री देवी वगैरह.....वादी

बनाम

मिथिलेश देवी वगैरह.....प्रतिवादीगण

आदेश

24.08.22 अभिलेख आज वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापन आवेदन दिनांक–22.04.2022 तथा उसके तत्संबंधित प्रत्युत्तर दिनांक–24.06.2022 पर आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया।

अपने आवेदन में वादी ने यह निवेदन किया है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–3 बिन्देश्वर भारती की मृत्यु दिनांक–05.02.2021 को हो गई है जो अपने पीछे एक पुत्र विनय कुमार भारती तथा चार पुत्रियॉ क्रमशः राधा देवी, माधुरी देवी, पुनम देवी तथा कल्यान्ती देवी को छोड़कर मरे हैं तथा कोविड महामारी के कारण यह आवेदन विलंब से देते हुए उन्होंने प्रार्थना किया है कि प्रस्तुत प्रतिस्थापन आवेदन को स्वीकार करते हुए प्रतिवादी सं0–3 के स्थान पर उनके पुत्र एवं पुत्रियों को प्रतिस्थापित करने की कृपा की जाए।

अपने प्रत्युत्तर में प्रतिवादीगणों ने यह निवेदन किया है कि उपरोक्त आवेदन विधि एवं तथ्य की दृष्टि से पाुषणीय नहीं है तथा प्रतिवादी की मृत्यु दिनांक–05.02.2021 को होने के कारण आवेदन काफी विलंब से है तथा उनके वारिसानों के संबंध में समर्थन करते हुए उनका अभिवचन यह है कि आवेदन कालबाधा से ग्रसित है तथा दिनांक–12.02.2021 तथा 10.12.2021 को भी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में पैरवी की गई एवं परिसीमा के कारण उनका आवेदन कालबाधा से ग्रसित है।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह विदित होता है कि प्रतिवादी सं0–3 की मृत्यु तथा उनके वारिसानों के संबंध में उभय पक्ष में कोई मतभेद नहीं है। जहॉ तक आवेदन के परिसीमा विधि से ग्रसित होने का प्रश्न है तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोविड महामारी के अंतर्गत दिए गए दिशा–निर्देश के अनुसार वादी द्वारा दाखिल उपरोक्त आवेदन समय–सीमा के भीतर है। तद्नुसार मृतक प्रतिवादी के वारिसानो के नाम का प्रस्तुत वाद में प्रतिस्थापन वाद के अंतिम न्याय–निर्णयन की दृष्टि से आवश्यक प्रतीत होता है। तद्नुसार उपरोक्त आवेदन स्वीकृत किया जाता है। **कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि आवेदनांकित पक्षकारों का नाम मृतक प्रतिवादी सं0–3 का नाम विलोपित करते हुए वादपत्र में प्रतिस्थापन करें।**

अभिलेख दिनांक– 21-10-22 वास्ते साक्ष्य हेतु प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश
शाहपुर पटोरी